



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/862

दिनांक: 11.02.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: दुबई सीमा शुल्क नोटिस संख्या 02/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के संबंध में – 8 अंकों
के एचएस कोड के उपयोग में लचीलापन**

परिषद को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के एफटी (वाना) प्रभाग से एक संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें 30 जनवरी 2026 को जारी **दुबई सीमा शुल्क नोटिस संख्या 02/2026** को अग्रेषित किया गया है।

सीमा शुल्क सूचना 10/2025 के संदर्भ में, और 8-अंकीय एचएस कोड के उपयोग की निरंतर इच्छा व्यक्त करने वाले हितधारकों की सुविधा के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि चरण-1 के अंतर्गत मौजूदा लचीलेपन को **और आगे बढ़ाया** जाएगा। तदनुसार, दुबई सीमा शुल्क विभाग अगली सूचना तक **8-अंकीय एचएस कोड** का उपयोग करके प्रस्तुत सीमा शुल्क घोषणाओं को स्वीकार करना जारी रखेगा।

पूर्व सीमा शुल्क नोटिसों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि के दौरान दुबई सीमा शुल्क विभाग को सीमा शुल्क दस्तावेज जमा करते समय उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह सूचना आपकी जानकारी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई के लिए प्रसारित की जा रही है।
सदस्य संदर्भ के लिए संलग्न आधिकारिक परिपत्र देख सकते हैं:

https://membership.plasticsepc.org-mails_images/20260211025146.pdf

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लॉक्सकॉन्सिल